

127



न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक :-/I/2016 निगरानी अग 3108 I-16

दिनांक 12-9-16 को
सो आशांक-मार्गव का
द्वारा प्रस्तुत /
12-9-16
SD

उमाचरण पुत्र श्री गोटीराम जाटव
निवासी ग्राम अटरा तहसील सेवदा
जिला दतिया --आवेदक
बनाम

- 1- सहोदरा बेवा गुमान जाटव निवासी ग्राम अटरा तह. सेवदा जि. दतिया
- 2- मान सिंह पुत्र श्री बदूल जाटव निवासी ग्राम भिटारी तहसील भाण्डेर जिला दतिया
- 3- धर्मदास पुत्र श्री गोटीराम जाटव निवासी ग्राम अटरा तहसील सेवदा जिला दतिया --अनावेदकगण

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता विरुद्ध आदेश दिनांक 26.08.2016 न्यायालय तहसीलदार सेवदा का प्रकरण क्रमांक 56/अ-6/2013-2014

महोदय,

प्रार्थी की ओर से निगरानी प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

संक्षिप्त विवरण :-

12/9/16
(अशांक मार्गव)

1- यह कि, प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, प्रतिप्रार्थी क्रमांक 1 सहोदरा के पति गुमान के नाम से पुस्तैनी कृषि भूमि सर्वे क्रमांक 576, सर्वे क्रमांक 598 स्थित ग्राम अटरा तहसील सेवदा जिला दतिया मे है। गुमान का स्वर्गवास होने के बाद विवादित भूमि नामान्तरण हेतु आवेदन पत्र अधीनस्त न्यायालय मे प्रतिप्रार्थी क्रमांक 1 द्वारा प्रस्तुत किया गया।

2- यह कि, प्रतिप्रार्थिनी क्रमांक 1 व गुमान सिंह के कोई सन्तान नहीं थी। अनावेदिका क्रमांक 1 व स्व. गुमान से जस्सी नाम की लड़की नहीं थी, स्व. गुमान प्रार्थी के सगे चाचा थे, प्रतिप्रार्थिनी

3

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं प्रतिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
31/5/19	<p>प्रकरण आज लिया गया। आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार सेवदा जिला दतिया के प्रकरण क्रमांक-56/अ-6/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 26/08/2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह निगरानी सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला दतिया के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 19/7/19 को कलेक्टर जिला दतिया के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>	

3

hpr
(आर0के0 जैन) 31/5/19

सदस्य